



No. ACE-I/RHB/JPR/2026-27/136

Date :- 01/09/2026

संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 07/2026-27 दिनांक 18.08.2026 के कार्य "Supply & Fixing of Gun Metal Sculpture in Atal Kavya Smarak at City Park, Mansarovar, Jaipur" हेतु दिनांक 25.08.2026 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि "बिड में राजस्थान आवासन मण्डल में समुचित वर्ग में पंजीकृत /अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत संवेदकों के साथ ही अपंजीकृत इच्छुक, सक्षम निविदादाता भी भाग ले सकते हैं। मण्डल में पंजीकृत संवेदक को अमानत राशि निविदा राशि की 0.5 प्रतिशत एवं अन्य संवेदकों (अन्य विभाग में पंजीकृत/अपंजीकृत संवेदक) को अमानत राशि निविदा राशि की 2.00 प्रतिशत की डी.डी. अपलोड कर मूल कार्यालय में जमा करवायी जानी है तथा जोईन्ट वेन्चर/ Consortium में अधिकतम दो ही सदस्य अनुमत होंगे। Consortium का ड्राफ्ट दस्तावेज (प्रारूप -18) संलग्न है।" Consortium Agreement अनुज्ञेय राशि रुपये 500/- के सत्यापित स्टाम्प पेपर को अपलोड कर मूल अन्य वांछित प्रपत्रों के साथ इस कार्यालय में जमा करवाया जाना है। बिड दस्तावेजों जहां भी JV अंकित है उसे JV/ Consortium पढ़ा जावे।

पूर्व में निर्धारित बिड-क्राईटएरिया में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संशोधन नहीं किया गया है। अपरिहार्य कारणों से निविदा की तिथियों का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

ऑन लाईन बिड डाउनलोड एवं अपलोड करने की दिनांक	14.09.2026 सायं 6:00 बजे तक
ऑफ लाईन डी.डी. एवं निर्धारित प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	15.09.2026 अपराह्न 1.00 बजे तक
ऑन लाईन तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	15.09.2026 सायं 4.00 बजे तक

*निविदा की शेष शर्तें मूल निविदा अनुसार रहेगी।


अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (मु0)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/ द्वितीय (जोधपुर)।
4. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियंता, खण्ड-नवम, जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि बिड की संशोधित सूचना SPP Portal पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि संशोधन की सूचना ई-प्रोक की साईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. लेखाधिकारी-अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. मास्टर फाईल।


अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम